रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2004/ज्येष्ठ 3, 1926

No. 470] NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2004/JYAISTHA 3, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2004

का.आ. 618(अ).—दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सी.के. महाजन की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह न्याय-निर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि संगठन नामश: मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अंतर्गत आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

ह./-

(सी. के. महाजन)

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)

अधिनियम, 1967 के अंतर्गत गठित अधिकरण

20 मई, 2004

[फा. सं. 8/8/2003-एन ई-I]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

माननीय न्यायमूर्ति श्री सी.के. महाजन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

मणिपुर के निम्नलिखित मैतई उग्रवादी संगठनों, अर्थात: (i) पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी.एल.ए. के नाम से जाना जाता है और इसके राजनैतिक अंग, दि रेबोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर.पी.एफ.); (ii) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ.); (iii) पीपल्स

रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) और इसके सशस्त्र अंग, "रेड आर्मी"; (iv) कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी" भी कहा जाता है; (v) कांग्ले याओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.); और (vi) मणीपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम.पी.एल.एफ.) को विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने

के मामले में:

और

विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत संदर्भ

के मामले में:

आदेश

1. 13 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (संक्षिप्त में 'अधिनियम') की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. का.आ. 1302(अ) जारी की जिसके तहत केन्द्र सरकार ने मैतई उग्रवादी संगठनों, अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) तथा इसके राजनैतिक अंग, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट (आर.पी.एफ.), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ.), पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) और इसके सशस्त्र अंग 'रेड आर्मी', कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसके सशस्त्र अंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है, कांग्लेयाओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम.पी.एल.एफ.) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था। अधिसूचना का पाठ निम्न प्रकार है:-

"गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2003

का. आ. 1302 (अ) :- यतः पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी0एल0ए0 के नाम से जाना जाता है, और इसके राजनीतिक अंग, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट (आर0पी0एफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू0एन0एल0एफ0), पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी0आर0ई0पी0 ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग "रेड आर्मी", कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी" भी कहा जाता है, कांगली याओंल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम0पी0एल0एफ0) (जिन्हें यहां इसके बाद सामूहिक रूप से मैतेई उग्रवादी संगठन कहा गया है):

(i) भारत से मणिपुर राज्य को अलग करके स्वतंत्र मणिपुर बनाने के अपने लक्ष्य की खुले तौर पर घोषणा की है;

(ii) अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(iii) मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानूनप्रिय नागरिकों पर हमले कर रहे हैं;

(iv) अपने संगठन के लिए धन एकत्र करने के लिए आम जनता को डराने-धमकाने, जबरन धन ऐंठने और लूटपाट के कार्य करते रहे हैं; और

(v) अपने अलगाववादी उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से हथियारों और प्रशिक्षण के जरिए विदेशी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने और जनमत को प्रभावित करने के लिए उनसे संपर्क स्थापित करने के प्रयास करते रहे हैं;

2. और यतः, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उपर्युक्त कारणों से मैतेई उग्रवादी संगठन और उनके द्वारा स्थापित अन्य निकाय, जिनमें ऊपर उल्लिखित सशस्त्र समूह भी शामिल हैं, विधिविरुद्ध संगठन हैं ।

3. अतः अब, विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी0एल0ए0 के नाम से जाना जाता है और इसके राजनीतिक अंग, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट, (आर0पी0एफ0), यूनाईटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू0एन0एल0एफ0), पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग, "रेड आर्मी", कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगली याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम0पी0एल0एफ0) को, एतद्द्वारा, गैर-कानूनी संगठन घोषित करती है ।

4. और यतः-

(i) मैतेई उग्रवादी संगठनों के सशस्त्र समूहों और सदस्यों द्वारा सुरक्षा बलों और आम जनता पर बार-बार लगातार हिंसात्मक और आक्रामक कार्रवाईयां की जा रही हैं;

(ii) मैतेई उग्रवादी संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(iii) धन संग्रह करना, जबरन वसूली करना और अत्याधुनिक हथियारों को प्राप्त करना जारी है;

(iv) शरणस्थल, प्रशिक्षण और चोरी छिपे हथियार और गोला बारूद प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ पड़ौसी देशों में लगातार शिविर बरकरार रखे जा रहे हैं ।

5. और यतः, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों की उपरोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखण्डता के प्रति अहितकर हैं और यदि उन पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उक्त मैतेई उग्रवादी संगठन पुनः संगठित हो जाएंगे और हथियारों से लैस हो जाएंगे, अपने संवर्गों का विस्तार कर लेंगे, अत्याधुनिक हथियारों की प्राप्ति कर लेंगे, जनता और सुरक्षा बलों के जीवन को भारी क्षति पहुंचाएंगे और मणिपुर को भारत से अलग करने की अपनी गतिविधियां तेज कर देंगे ।

6. अतः, अब, पैरा 4 और 5 में उल्लिखित परिस्थितियों के संदर्भ में, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी0एल0ए0 के नाम से जाना जाता है और इसके राजनीतिक अंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0), पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग "रेड आर्मी", कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगली याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0) को तत्काल प्रभाव से गैर-कानूनी घोषित किया जाना अनिवार्य है, और तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा0 सं0 8/8/2003-एन.ई. II]

राजीव अग्रवाल,

संयुक्त सचिव "

2. दिनांक 13 नवम्बर, 2003 की उपरोक्त अधिसूचना के बाद इस अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 2003 को एक अन्य अधिसूचना सं0 सा.का. नि. 925 (अ) जारी की गई थी जिसके तहत यह न्याय-निर्णय करने के प्रयोजन के लिए इस अधिकरण का गठन किया गया था कि मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरूद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

3. उक्त अधिसूचनाओं के बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 के पत्र सं0 8/8/2003/एन.ई. I के द्वारा इस अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इस अधिकरण को एक संदर्भ तथा मामले का विवरण भेजा गया था। संदर्भ, अधिसूचनाओं तथा मामले का विवरण प्राप्त होने के बाद यह मामला 18 दिसम्बर, 2003 को अपराह्न 3.30 बजे प्रारंभिक सुनवाई के लिए अधिकरण के समक्ष आया था। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग निम्न प्रकार है:-

> "विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(2) के अन्तर्गत मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0), रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0),

पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग "रेड आर्मी", कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी " भी कहा जाता है, कांग्ले याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0) को नोटिस जारी करके कहा जाए कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कारण बताएं कि इन संगठनों को विधिविरूद्ध संगम घोषित क्यों घोषित नहीं किया जाए।

मणिपुर के उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को नोटिसों की तामील उनके प्रधान कार्यालयों यदि कोई हो, पर या उनके मुख्य भाग पर नोटिस की प्रति चिपकाकर दी जाए। इसके अलावा दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों (एक अंग्रेजी में तथा एक हिन्दी में) और एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र, जिसका मणिपुर राज्य में परिचालन होता हो, में प्रकाशन द्वारा नोटिस जारी किए जाने चाहिएं। उपर्युक्त तरीकों के अलावा, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रसारण द्वारा तथा जिन क्षेत्रों में उक्त संगठनों की गतिविधियां सामान्यतया चलती हों वहां लाउडस्पीकर पर उद्घोषणा करके उक्त संगठनो को नोटिस जारी किए जाने चाहियें।

नोटिस 10 दिन के भीतर तामील कर दिए जाने चाहियें। आदेशों का अनुपालन दिखाने के लिए तीन सप्ताह के भीतर इस अधिकरण के रजिस्ट्रार के पास शपथपत्र दायर किया जाना चाहिए।

साक्ष्य को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5(5) के उपबंधों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में रिकॉर्ड किया जाएगा।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को आज से चार सप्ताह के भीतर आरोपों के समर्थन में गवाहों के शपथ-पत्र तथा दस्तावेज दो प्रतियों में, दायर करने होंगे।"

4. दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 के आदेशों के अनुसरण में आदेश का अनुपालन दिखाने के लिए भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय के निदेशक (एन.ई.II) श्री आर0 आर0 झा का दिनांक 07 जनवरी, 2004 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 7 जनवरी, 2004 को श्री चितरंजन सिंह, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, इम्फाल का इसी प्रकार का शपथ-पत्र मणिपुर सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। शपथ-पत्रों के अवलोकन के बाद, अधिकरण द्वारा 5 फरवरी, 2004 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"दिनांक 18 दिसंबर, 2003 के आदेश के अनुसरण में, श्री आर0 आर0 झा, निदेशक भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा एक शपथ-पत्र दायर किया गया था जिसकी 7 जनवरी, 2004 को अभिपुष्टि की गई थी। इस शपथ-पत्र के अनुसार अधिकरण के दिनांक 18 दिसंबर, 2003 के आदेशों के अनुसरण में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मणिपुर सरकार को नोटिस अग्रेषित किए गए थे।

दिनांक 7 जनवरी, 2004 को एक अन्य शपथ-पत्र श्री चितरंजन सिंह, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार द्वारा दायर किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मणिपुर सरकार ने केन्द्र सरकार के निदेशों के अनुसरण में अधिकरण के दिनांक 18 दिसंबर, 2003 के आदेशानुसार मणिपुर में मैतेई उग्रवादी संगठनों को नोटिस जारी करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की:-

(i) अधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस तीन समाचारपत्रों अर्थात् (1) दिनांक 27.12.2003 के नेशनल हेराल्ड (एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र), (2) दिनांक 27.12.2003 के नव भारत टाईम्स (एक हिन्दी दैनिक समाचारपत्र) तथा (3) दिनांक 27.12.2003 के शंगाई एक्सप्रेस (इम्फाल का एक स्थानीय भाषा का समाचारपत्र) में प्रकाशित किए गए थे। समाचारपत्रों की प्रतियां संलग्न की गई हैं।

(ii) आकाशवाणी, इम्फाल पर शाम 7.30 बजे (मणिपुर बुलेटिन) तथा अन्य स्थानीय भाषा के बुलेटिनों पर दिनांक 26.12.2003 को नोटिसों का प्रसारण किया गया था। श्री बी0 आर0 शर्मा, संवाददाता प्रसार भारती, आकाशवाणी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आकाशवाणी के इस आशय के दिनांक 2.1.2004 के पत्र की प्रति संलग्न है।

(iii) दिनांक 24.12.2003 को शाम 7.15 बजे दूरदर्शन केन्द्र इम्फाल पर भी नोटिसों का प्रसारण किया गया था। श्री एल0 मणिबाबू सिंह, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, प्रसार भारती, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूरदर्शन केन्द्र, इम्फाल के इस आशय के दिनांक 26.12.2003 के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(iv) नोटिसों की तामीली लाउडस्पीकरों द्वारा, ढोल बजाकर तथा सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाकर भी की गई थी। श्री एस0 दीनोकुमार सिंह, आई0पी0एस0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इम्फाल, पश्चिमी जिला, मणिपुर के इस आशय के दिनांक 29.11.2003 के पत्र की प्रति संलग्न है।

केन्द्र सरकार की ओर से श्री आर0आर0 झा के दिनांक 7 जनवरी, 2004 के उपर्युक्त शपथ-पत्र में, मणिपुर सरकार की ओर से शपथ-पत्र में उल्लिखित सभी बातों को दुहराने के इन सबके अलावा मणिपुर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का भी ब्यौरा दिया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि इम्फाल के पश्चिमी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जिलों में नौ थानों अर्थात् इम्फाल, लम्फेल, सेकमई, सिंगजमाई, पतसोई, वन्गोई, लमसांग, सिटि एवं मथंग थानों के प्रभारी अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस की प्रतियां चिपकाई हैं। यह भी बताया गया है कि इन संगठनों का कोई कार्यालय नहीं है और इसलिए ढोल बजाकर तथा लाउडस्पीकरों द्वारा नोटिस तामील किए गए हैं और अधिकरण के नोटिसों का आम जनता में व्यापक प्रचार किया गया है। मणिपुर के पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त इस आशय के पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

मैंने रिकॉर्ड देख लिए हैं और भारत संघ तथा मणिपुर सरकार के अधिवक्ताओं (काउंसलों) को सुना है। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं कि इस अधिकरण द्वारा मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को जारी किए गए नोटिसों की तामीली विधिवत रूप से आदेशानुसार की गई है।

मैंने पाया है कि नोटिस तामील किए जाने के बावजूद किसी भी संगठन की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर अथवा आज तक भी कोई आपत्ति/उत्तर/लिखित बयान दर्ज नहीं किया गया है और न ही उक्त संगठनों की ओर से व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कोई उपस्थिति हुई है। चूंकि नोटिस जारी कर दिए गए हैं, अतः, मैं जांच की कार्यवाही को आगे बढ़ाता हूं।

केन्द्र सरकार और मणिपुर राज्य सरकार ने भी दस्तावेजों सहित गवाहों के शपथ-पत्र दायर कर दिए हैं और इन्हें रिकॉर्ड कर लिया गया है। दायर किए गए शपथ-पत्र निम्नलिखित अधिकारियों के हैं:-

(i) श्री आर0 आर0 झ, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का दिनांक 14 जनवरी, 2004 का शपथ-पत्र ।

(ii) श्री एस0 दीनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार , इम्फाल का दिनांक 23 जनवरी, 2004 का शपथ-पत्र।

(iii) श्री रवूप्तीन्लाल सिंगसन, पुलिस उप-निरीक्षक, मणिपुर पुलिस विभाग का दिनांक 22.1.2004 का शपथ-पत्र।

(iv) श्री नगलगोम रोमन सिंह, पुलिस उपनिरीक्षक, मणिपुर पुलिस विभाग का दिनांक 22.1.2004 का शपथ-पत्र ।

(v) श्री वाहेंगबम धनंजय सिंह, उप निरीक्षक, मणिपुर पुलिस विभाग का दिनांक 22.1.2004 का शपथ-पत्र ।

(vi) श्री ठोकचोम दामू सिंह, उप निरीक्षक, पुलिस विभाग मणिपुर का दिनांक 22.1.2004 का शपथ-पत्र।

(vii) श्री सरेम सुरजाबोरो सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, मणिपुर पुलिस विभाग का दिनांक 22.1.2004 का शपथ-पत्र।

(viii) मोहम्मद अब्दुल गफ्फूर मसूद, उप-निरीक्षक, मणिपुर पुलिस विभाग का दिनांक 22.1.2004 का शपथ-पत्र

इस प्रकार दलीलें पूरी हो गई हैं। तदनुसार मैं इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे के निर्धारण के संबंध में कार्रवाई करता हूं:-

क) क्या मणिपुर के सात मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् (i) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0) (ii)रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0) (iii) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0) (iv) पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक

(पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग "रेड आर्मी", (v) कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी " भी कहा जाता है (vi) कांग्ले याओल कानबा लुप (के0क्वाई0के0एल0) (vii)मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0) को विधिविरूद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं।

अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, दो सप्ताह के भीतर पक्षों द्वारा शपथपत्र पर प्रस्तुत किये जाएं।

साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग हेतु मामले को अब 17 एवं 18 मार्च, 2004 को शिलांग में उठाया जाएगा । 17 एवं 18 मार्च, 2004 को शिलांग में अधिकरण की बैठक के आयोजन हेतु सभी आवश्यक प्रबंध गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए जाएंगे ।

साक्ष्यों की जांच हेतु कार्रवाई करने के लिए इस आदेश की प्रतियां भारत संघ की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता तथा मणिपुर सरकार को भी दी जाएंगी ।

5. अधिकरण की अगली बैठक का आयोजन 17 मार्च, 2004 को शिलांग, मेघालय में किया गया । उक्त तारीख को, श्री दीनो कुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार का दिनांक 17 मार्च, 2004 का एक शपथपत्र कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया तथा यह याचना की गई कि इसे रिकार्ड किया जाए तथा इसे साक्ष्य का एक हिस्सा माना जाए । अपेक्षित अनुमति प्रदान की गई । मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों की ओर से पुनः कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । पी.डब्ल्यू. 1 श्री दीनो कुमार सिंह से की गई पूछताछ को रिकार्ड किया गया । उग्रवादी संगठनों को जिरह, यदि कोई हो, के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए सुनवाई को 18 मार्च, 2004 सुबह 10.00 बजे तक स्थगित कर दिया गया । 18 मार्च, 2004 को गवाह से जिरह के लिए मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । अतः गवाह को छोड़ दिया गया । इसके पश्चात, 2 से 7 तक के पी.डब्ल्यू. के बयानों को उसी तारीख को रिकार्ड किया गया । भारत संघ के अधिवक्ता द्वारा यह याचना की गई गवाह श्री आर.आर. झा, निदेशक, एन.ई. II, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को किसी अन्य तारीख को पेश होने की अनुमति दी जाए क्योंकि वह उस दिन उपस्थित नहीं हो सके थे । मामले की सुनवाई 24 मार्च, 2004 के लिए निर्धारित की गई जिसे उस दिन फिर 7 अप्रैल, 2004 के लिए स्थगित कर दिया गया । 7.4.04 की सुनवाई में निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

"श्री के.के. सूद, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि वे कुछ और गवाह प्रस्तुत करना चाहेंगे तथा उसके पश्चात श्री आर.आर. झा, निदेशक (एन.ई. II), गृह मंत्रालय से पूछताछ करना चाहेंगे ।

अधिकरण ने निदेश दिया कि शेष गवाहों की गवाही को रिकार्ड करने के लिए अगली बैठक आईजोल, मिजोरम में 30 अप्रैल, 2004 को प्रातः 10.30 बजे होगी । उक्त तारीख को अधिकरण की बैठक का आयोजन करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए जाएं ।

यह भी निदेश दिया गया कि आज से सात दिन के भीतर केन्द्र सरकार एवं मणिपुर राज्य सरकार अधिकरण की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान से संबंधित सूचना के बारे में लोगों को बड़े पैमाने पर सूचित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी के एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा एक स्थानीय

भाषा के समाचार पत्र, जिसका परिचालन मणिपुर राज्य में हो, में नोटिसें प्रकाशित करेगी ताकि जो व्यक्ति अधिकरण के समक्ष गवाही देने के इच्छुक हैं, वे 30.4.04 को सुबह 10.00 बजे आइजोल में अधिकरण के समक्ष अंग्रेजी में अथवा अंग्रेजी अनुवाद सहित स्थानीय भाषा में शपथ पत्र (तीन प्रतियां) प्रस्तुत करके अपनी गवाही दे सकें और जिरह, यदि कोई हो, के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकें । केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दस दिन के भीतर अनुपालना संबंधी शपथ पत्र और संबंधित समाचार पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी ।

शेष गवाहों से पूछताछ हेतु कार्रवाई करने के लिए इस आदेश की प्रतियां भारत संघ की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ता तथा मणिपुर सरकार को दी जाएं । इस उद्देश्य के लिए और अवसर नहीं दिया जाएगा।"

6. 7 अप्रैल, 2004 के आदेशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने श्री एस.टी. वेंकटाचालापाथी, डेस्क अधिकारी (एन.ई. II), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19 अप्रैल, 2004 के पत्र के द्वारा श्री एस. दीनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार का दिनांक 16 अप्रैल, 2004 का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया । शपथ पत्र में यह कहा गया है कि 16 अप्रैल, 2004 के अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक नेशनल हैरॉल्ड तथा 15 अप्रैल, 2004 के स्थानीय भाषा के दैनिक हूंयेन लानपाओ, इम्फाल में इस आशय की सार्वजनिक सूचना को प्रकाशित किया गया था । समाचार पत्रों के उक्त अंकों, जिनमें सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी, को शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया था । इसी सिलसिले में मणिपुर सरकार ने श्री एस. दीनोकुमार सिंह, विशेष सचिव, (गृह), मणिपुर सरकार का दिनांक 19.4.04 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था । 23 अप्रैल, 2004 को श्री एस. दीनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार का दिनांक 19 अप्रैल, 2004 का एक अन्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया था कि स्थानीय भाषा के समाचार पत्र हूंयेन लानपाओ, इम्फाल में दिनांक 15 अप्रैल, 2004 को प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में अधिकरण की बैठक की तारीख उल्लिखित न होने की मुद्रण संबंधी गलती को दिनांक 18 अप्रैल, 2004 को हूंयेन लानपाओ, इम्फाल नामक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में एक अन्य सूचना प्रकाशित करके सुधार लिया गया था । समाचार पत्र के उस अंक की एक प्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न है जिसमें सूचना प्रकाशित हुई थी ।

7. इसके अलावा, 7 अप्रैल, 2004 के आदेश के अनुसरण में श्री एम0 करणजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, सी0आई0डी0/विशेष शाखा, मणिपुर पुलिस विभाग का दिनांक 21 अप्रैल, 2004 का एक शपथ-पत्र भी 23 अप्रैल, 2004 को प्रस्तुत किया गया था।

8. अधिकरण की अगली बैठक का आयोजन 30 अप्रैल, 2004 को आइजोल, मिजोरम में किया गया था जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"7 अप्रैल, 2004 के आदेशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा श्री एस. दीनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार का दिनांक 19 अप्रैल, 2004 का एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि सार्वजनिक सूचना को दिनांक 16.4.04 के एक दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र (अंग्रेजी) तथा 15.4.04 के मणिपुर में परिचालित एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (स्थानीय भाषा) में प्रकाशित करके आदेशों की अनुपालना की गई है । समाचार पत्रों के उक्त संस्करणों की प्रतियों को

भी रिकार्ड में शामिल किया गया है । इसी संबंध में, मणिपुर सरकार ने दिनांक 16 अप्रैल, 2004 तथा दिनांक 19 अप्रैल, 2004 के शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं । मैंने सूचना एवं समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों को ध्यान से पढ़ लिया है ।"

इस प्रकार नोटिस प्रकाशित करने के आदेशों की पर्याप्त अनुपालना की गयी है।

तथापि आम जनता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। न ही कोई हलफनामा प्रस्तुत किया गया। प्रातः के 10.40 बजे हैं। न्याय के हित में यह अधिकरण जनता या किसी अन्य संगठन के उत्तर की प्रतीक्षा में 11.00 बजे प्रातः कार्रवाई पुनः शुरू करेगा।

प्रातः के 11.00 बजे हैं। जनता या किसी संगठन की ओर से कोई भी नहीं आया।

श्री एम0 करणजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, सी0आई0डी0/विशेष शाखा, पुलिस विभाग, मणिपुर का दिनांक 21 अप्रैल, 2004 का एक हलफनामा भी दिनांक 23.4.2004 को दिल्ली में प्रस्तुत किया गया है और केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता ने अनुरोध किया है कि उसे रिकार्ड कर लिया जाए तथा दिनांक 7 अप्रैल, 2004 के आदेशों के अनुरूप श्री एम0 करणजीत सिंह को गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति दी जाए। हलफनामा रिकार्ड कर लिया गया तथा गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति दे दी गयी।

पीडब्ल्यू-8 श्री आर0 आर0 झा तथा पीडब्ल्यू-9 श्री एम0 करणजीत सिंह उपस्थित हैं। उनके बयान दर्ज किये जाते हैं।

पीडब्ल्यू-8 और पीडब्ल्यू-9 के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। उनसे जिरह करने के लिए मैतेई संगठनों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। उन्हें छोड़ दिया जाता है। साक्ष्य सम्पन्न हो गया। आगे कोई साक्ष्य नहीं होगा।

भारत संघ के अधिवक्ता ने तथ्य प्रस्तुत करने और लिखित में तथ्य दायर करने के लिए समय मांगा। अगली तारीख से पहले यथावश्यक कार्रवाई कर ली जाए।

दिल्ली में दिनांक 4 मई, 2004 को 3.30 बजे अपराह्न तर्कों के लिए सूची।"

9. 4 मई, 2004 को कोई लिखित तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि भारत सरकार के अधिवक्ता ने मौखिक तर्क प्रस्तुत किए।

10. रिकार्ड किए गए साक्ष्यों पर विचार करने से पूर्व उन तथ्यों का पता लगाना आवश्यक है जिसके कारण केन्द्र सरकार को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 13 नवम्बर, 2003 को अधिसूचना जारी करनी पड़ी। तथ्य निम्नलिखित हैं:-

10.1 यह कि मणिपुर राज्य में मैतेई और आदिम जनजातियां निवास करती हैं। मैतेई लोग संख्यात्मक रूप से अग्रणी समुदाय हैं और कुल आबादी के 66% से अधिक हैं और इम्फाल घाटी में बहुतायत हैं। मणिपुर में 29

जनजातियां (अधिकांशतः नागा और कुकी) हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती हैं। मणिपुर का घाटी क्षेत्र विभिन्न मैतेई उग्रवादी संगठनों की विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित है उनमें से प्रमुख उग्रवादी गुट हैं:- पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0), रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0), कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0), कांग्ले याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0)। पहाड़ी क्षेत्र नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन0एस0सी0एन0) से संबंधित नागा उग्रवादियों और कुकी उग्रवादियों की गतिविधियों से प्रभावित हैं।

10.2 यह कि मैतेई उग्रवादी संगठन विभिन्न हिंसक घटनाओं और सशस्त्र लूटपाट के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें भारी संख्या में आम नागरिकों और पुलिस कार्मिकों के जान-माल की क्षति हुई। ये उग्रवादी बैंकों से भी धन लूटते रहे हैं और बणिकों, व्यापारियों, आम नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों से भी भारी मात्रा में जबरन धन की वसूली करते हैं। मैतेई उग्रवादियों की गतिविधियां काफी गंभीर हो गई थीं और इम्फाल घाटी को सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 8 सितम्बर, 1980 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित कर दिया गया था। सुरक्षा बलों व पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाये गये थे। पी एल ए, यू एन एल एफ, प्री-पाक और के सी पी नामक चार मैतेई उग्रवादी संगठनों, जो मणिपुर की 'आजादी' के अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर राज्य के घाटी क्षेत्र में हत्या, लूटपाट,डराने, धमकाने सहित गैर कानूनी हिंसक कार्यों में लिप्त थे, को अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत सर्वप्रथम दिनांक 26 अक्तूबर, 1979 से 'विधिविरूद्ध संगम' घोषित किया गया था। तब से लेकर यह प्रतिबंध अब भी जारी है। एमपीएलएफ को अन्य मैतेई उग्रवादी संगठनों के साथ 13 नवम्बर, 1999 को "विधिविरूद्ध संगम" घोषित किया गया था। पिछली अधिसूचना दिनांक 13 नवम्बर, 2001 को का0आ0 1124 (अ) के तहत जारी की गई थी। माननीय न्यायधीश श्री अनिल देव सिंह, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, दिल्ली की अध्यक्षता में गठित विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक संदर्भ भेजा था और विद्वान अधिकरण ने अपने दिनांक 10 मई, 2002 के आदेश के द्वारा भारत सरकार की दिनांक 13.11.2001 की अधिसूचना की पुष्टि कर दी थी।

10.3 यह कि मैतेई उग्रवादी संगठनों ने भारत से पृथक्करण का प्रचार जारी रखा है। भारत सरकार के विरूद्ध 'युद्ध' लड़ने की उनकी योजनाओं में सुरक्षा बल उनके प्रमुख निशाने पर रहें हैं। अपना खजाना भरने के लिए लूट खसोट के उनके क्रियाकलाप भी जारी हैं। हाल में 27 जुलाई, 2003 को मुख्य मंत्री, मणिपुर के सुरक्षा दस्ते पर हमला, जिसमें दो पुलिस कार्मिक मारे गए तथा दिनांक 14 अगस्त, 2003 को लिलांग पुल पर एक यात्री बस में बम विस्फोट, जिसमें छः व्यक्ति मारे गए तथा अन्य 17 घायल हो गए, इन संगठनों की हिंसा की क्षमता के घृणित स्मारक हैं। इन संगठनों का साहित्य भी उनकी राजद्रोही प्रवृत्ति को दर्शाता है। इन हालातों में इन संगठनों पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने से उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी तथा इससे उनको अपने उद्देश्य का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने में सहायता मिलेगी।

10.4 यह कि इन उग्रवादी संगठनों द्वारा वर्ष 1999 से की गयी हिंसा की घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	घटनाओं की कुल संख्या	मारे गए व्यक्ति	
		नागरिक	सुरक्षा बल कार्मिक
1999	230	138	63
2000	185	116	41
2001	190	69	18
2002	172	77	34
2003, 31 जुलाई तक	12	38	18

10.5 कि मैतेई उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर में एक-दूसरे के साथ-साथ अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ भी निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। पीएलए/आरपीएफ नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के इस्साक मुइवाह गुट के साथ भी निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। यूएनएलएफ नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के खापलांग गुट के साथ-साथ कुकी नेशनल आर्मी से भी सम्पर्क बनाए हुए हैं। केवाईकेएल को केसीपी, पीआरईपीएके तथा यूएनएलएफ (ओकन गुट) से समर्थन मिलता है।यूएनएलएफ ने यूएलएफए (उल्फा) और एनएससीएन (के) द्वारा 1990 में गठित इन्डो-बर्मा रिवोल्यूशनरी फ्रंट (आईबीआरएफ) के गठन में हस्ताक्षर भी किये थे। आई बी आर एफ का उद्देश्य भारतीय सुरक्षा बलों के विरूद्ध संयुक्त संघर्ष करना था। यद्यपि आई बी आर एफ बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहा है किन्तु इसने यूएनएलएफ और यूएलएफए के काडरों को प्रशिक्षण दिया है । के वाई के एल तथा आई बी आर एफ ऐसे अम्ब्रेला संगठन हैं जो अभियान चलाने में सहयोग के लिए विद्रोही गुटो को मंच प्रदान करते हैं। पीआरईपीएके, आरपीएफ तथा यूएनएलएफ मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ) नाम से दूसरे अम्ब्रेला संगठन के गठन के लिए एक साथ आ गये हैं।

10.6 कि पीएलए/आरपएफ, यूएनएलएफ, पीआरईपीएके, केसीपी और केवाईकेएल के पड़ौसी देशों अर्थात बंगलादेश और म्यांमार में शिविर हैं। इन उग्रवादी संगठनों के सदस्य अपनी पृथकतावादी और हिंसात्मक गतिविधियां निरंतर जारी रखे हुए हैं। वे अपनी गैर कानूनी गतिविधियो में सहायता प्राप्ति को सुनिश्चित करने के विचार से दूसरे देशों से सम्बन्ध बनाने और उन्हें बनाये रखने के भी निरन्तर प्रयास करते रहे हैं और इस तथ्य के बावजूद कि मैतेई उग्रवादी संगठनों पर लम्बे समय से लगातार प्रतिबंध लगा हुआ है , मैतेई विद्रोह मणिपुर में, विशेष कर घाटी में सुरक्षा के लिए एक गम्भीर चिंता का विषय बना हुआ है। ये संगठन गैर कानूनी कर संग्रहण, लूटखसोट और फिरौती के लिए अपहरण/व्यपहरण करके भारी मात्रा में धन जुटाने के काम में लगे हैं। मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा हथियारों की प्राप्ति भी निरंतर जारी है। प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के लिए जिन तथ्यों को ध्यान में रखा गया था वे निम्नलिखित थे:-

(i) मैतेई उग्रवादी संगठनों ने मणिपुर राज्य को भारत से अलग करके स्वतंत्र मणिपुर बनाने के अपने लक्ष्य की खुले तौर पर घोषणा की है,

(ii) वे अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल करते रहे हैं,

(iii) वे मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमले करते हैं,

(iv) वे अपने संगठन के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से सिविलियन जनता को डराने-धमकाने, जबरन धन ऐठनें और लूटपाट के कार्य करते रहे हैं, और

(v) ये अपने अलगाववादी उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजनों से हथियारों और प्रशिक्षण के जरिए सहायता प्राप्त करके और जनमत को प्रभावित करने के लिए विदेशी स्रोतों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास करते रहे हैं।

10.7 कि विभिन्न संबद्ध सरकारी विभागों/एजेंसियों से उनके विचार मांगे गये थे और उन सभी ने मैतेई उग्रवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध को और आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। प्रतिबंध को आगे बढ़ाने के कारण निम्नलिखित हैं:-

(i) मणिपुर को भारत से अलग करने की नीति को अपनाना जारी रखना।

(ii) भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्तता जारी रखना।

(iii) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधनो के तौर पर सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा और भय बनाए रखना।

(iv) व्यवसायियों, व्यापारियों और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से अत्याधिक अवैध कर-वसूली और जबरन धन-वसूली करना।

(v) अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही गुटों के साथ संपर्क रखना और उन्हें समर्थन देना और पड़ौसी देशों के साथ संपर्क रखना ।

(vi) गुप्त माध्यमों द्वारा या विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों और गोलीबारूद का प्रापण ।

(vii) मणिपुर को भारत से अलग करने के अपने मूल लक्ष्य के प्रति समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहुंच बनाने और उनका इस्तेमाल करने के उद्देश्य से अनरीप्रिसेंटेड नेशन्स और पीपुल्स आरगेनाइजेशन की सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करना।

10.8 अतः यह बताया जाता है कि यही वे कारण थे जिनकी वजह से 12 नवम्बर, 2003 की पहले की अधिसूचना की वैधता समाप्त होने पर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत मैतई उग्रवादी संगठनों पी.एल.ए., आर.पी.एफ., पी.आर.ई.पी.ए.के., यू.एन.एल.एफ., के.सी.पी., के.वाई.के.एल. और एम.पी.एल.एफ. को आगे की अवधि के लिए 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करने के लिए नई अधिसूचना जारी करना अनिवार्य समझा

गया था और तदनुसार इन संगठनों को 13 नवम्बर, 2003 से आगे दो वर्ष की और अवधि के लिए "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करने संबंधी एक नई अधिसूचना जारी की गई थी और यह कि यदि इन दो अधिसूचनाओं के बीच में कोई अंतराल हो जाता है तो ये संगठन स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अपनी विधिविरुद्ध एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने संवर्गों को एकजुट कर सकते हैं ।

11. संदर्भ की पुष्टि में साक्ष्य के तौर पर दिनांक 14.1.2004 को श्री आर.आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का एक हलफनामा, श्री एस. दीनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार के तीन हलफनामे, जिनमें से दो 23 जनवरी, 2004 के तथा एक 17 मार्च, 2004 का था तथा दिनांक 21 अप्रैल, 2004 को श्री एम. करनजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी./मणिपुर पुलिस विभाग, मणिपुर सरकार का एक हलफनामा दायर किया गया है ।

12. श्री आर.आर. झा के हलफनामे में कहा गया है कि "गैर कानूनी संगठनों" के रूप में मैतेई उग्रवादी संगठन अनेक हिंसक घटनाओं और शस्त्रों की लूट के लिए जिम्मेदार रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में नागरिक और पुलिसकर्मी मारे गए हैं । हलफनामे के परिशिष्ट-I में मणिपुर के प्रत्येक मैतेई उग्रवादी संगठन और उन तारीखों का विवरण दिया गया है जिन तारीखों को उन्होंने अपनी काडर संख्या, लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण किया था। उसके अनुलग्नक-II में मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा 2002 और 2003 में की गई हिंसा, लूटमार आदि की बड़ी घटनाओं का विवरण दिया गया है । अनुलग्नक-III में केन्द्र सरकार को मणिपुर सरकार से प्राप्त 13.11.2001 से 15.6.2003 की अवधि के दौरान इन संगठनों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सूची दी गई है । अनुलग्नक-IV में सीज़र मीमो, री-सीज़र मीमो की प्रतियां, 6 मैतेई उग्रवादी संगठनों का पृथकतावादी दृष्टिकोण इंगित करता साहित्य तथा उनके द्वारा जारी मांग-नोटिसों का विवरण दिया गया है । उसके बाद हलफनामे में मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी संगठनों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने, उनके द्वारा पड़ौसी देशों में शिविरों की स्थापना करने, अन्य संगठनों से प्रशिक्षण और सहयोग मांगने तथा गैर कानूनी अलगाववादी और हिंसात्मक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने का वर्णन है। यह भी बताया जाता है कि प्रतिबंध के बावजूद मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठन निरंतर गैर कानूनी तरीके से कर संग्रहण, लूटखसोट, फिरौती के लिए अपहरण/व्यपहरण में लिप्त हैं । हलफनामे में पैरा 10.6 और 10.7 में पहले ही यथा उल्लिखित उन तथ्यों और कारणों का वर्णन है जिनको 13.11.2003 से अगले दो वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध को बढ़ाने और जारी रखने के लिए ध्यान में रखा गया । यह बताया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को 13.11.2003 से तत्काल प्रभाव से "गैर कानूनी संगठन" घोषित किया जाना आवश्यक था और इसलिए तदनुसार दिनांक 13.11.2003 को अधिसूचना जारी की गई थी जिसकी एक प्रति हलफनामे के अनुलग्नक-V पर दी गई है ।

13. श्री आर.आर. झा से पी.डब्ल्यू. 8 के रूप में पूछताछ की गई है उन्होंने केन्द्र सरकार के दिनांक 10.12.2003 के पत्र (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/1), जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिकरण को संदर्भ भेजा गया था, दिनांक 13.11.2003 की अधिसूचना (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/2), दिनांक 5.12.2003 की अधिसूचना (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/3) तथा संदर्भ के साथ संलग्न सक्षिप्त विवरण (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/4) को सिद्ध कर दिया है । उन्होंने यह भी बयान दिया कि केन्द्र सरकर की ओर से इन कार्यवाहियों में दायर दिनांक 14.1.2004 (प्रदर्श पी डब्ल्यू 8/5) के शपथ-पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और उसमे बताए गए तथ्य,

केन्द्र सरकार की एजेंसियों और मणिपुर सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि इसे जांच प्रमुख के एक भाग के रूप में पढ़ा जाए। उन्होंने प्रदर्श पी डब्ल्यू 8/6, पी डब्ल्यू 8/7, पी डब्ल्यू 8/8 और पी डब्ल्यू 8/9 के रूप में उल्लिखित अपने शपथ-पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक I, II, III और IV को भी सिद्ध किया।

14. श्री एस0 दीनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, पी डब्ल्यू I के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि दिनांक 23.1.2004 को दायर शपथ-पत्र में उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने बताया कि उनके तीन शपथ पत्रों की विषय वस्तु, सरकारी रिकार्ड और मणिपुर सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना पर आधारित है । उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने सरकारी पद की हैसियत से मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों संबंधी कार्य देख रहे हैं । प्रदर्श पी.डब्ल्यू. I/1 के शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य मणिपुर को भारत संघ से पृथक करना तथा स्वतंत्र संप्रभु राज्य का गठन करना है। ये संगठन कई गैर-कानूनी गतिविधियों, आम जनता को डराने-धमकाने/जबरन धन वसूली करने, बेकसूर लोगों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कार्मिकों तथा सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्या कर लोगों में आतंक फैलाने, फिरौती के लिए उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों तथा समृद्ध परिवार के लोगों का अपहरण करने जैसे कई गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं । ये संगठन विदेशों से भी सहायता प्राप्त करते हैं । शपथ पत्र में इनमें से प्रत्येक संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों, उनके आधारों, मानवशक्ति, हथियारों और गोला-बारूद, अपराध और आपराधिक मामलों में उनके लिप्त होने आदि के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है । इसमें बताया गया है कि इन संगठनों को निरंतर रूप से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किए जाने की जरूरत है । प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/1 का शपथ पत्र भी श्री आर.आर. झा (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/5) के हलफनामे जैसा ही है । श्री दिनोकुमार सिंह (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/2) के दिनांक 23.1.2004 के दूसरे शपथ पत्र में बताया गया है कि 13.11.2001 से 15.6.2003 की अवधि के दौरान मैतेई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध 656 मामले दर्ज किए गए। इस शपथ पत्र के साथ विभिन्न मैतेई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध दर्ज की गई 23 चुनिंदा प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न की गई हैं । अपने बयान में उन्होंने बताया कि ये प्रतियां संबंधित मूल प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रामाणिक प्रतियां हैं और इन्हें मूल रिकार्ड से तैयार किया गया है । विभिन्न मैतेई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध दर्ज 656 मामलों का ब्यौरा भी दिया गया है । उन्होंने प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/ए (संयुक्त) के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूची की प्रतियों, प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/बी (संयुक्त) के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के सार की प्रतियों, प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/सी (संयुक्त) के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियों और प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/डी (संयुक्त) के रूप में समाचार पत्रों की कतरनों की प्रतियों को सिद्ध किया । यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि जहां प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/ए (संयुक्त) और प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/बी (संयुक्त) के दस्तावेजों को श्री दिनोकुमार सिंह के दिनांक 23.1.2004 के दूसरे शपथ पत्र के साथ दायर किया गया है, वहीं प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/सी और प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/डी के दस्तावेजों को दिनांक 17.3.2004 के शपथ पत्र के साथ दायर किया गया है । अपने बयान में उन्होंने प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/2 के पृष्ठ 4 में बताए गए अनुसार प्रत्येक मैतेई उग्रवादी संगठन के विरुद्ध दायर किए गए मामलों के बारे में भी बताया । इसके बाद उन्होंने इन संगठनों की राष्ट्र विरोधी, गैर-कानूनी, तोड़-फोड़ करने और उनकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में बताया । उन्होंने अनुरोध किया कि उनके शपथपत्रों को साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाए ।

15. श्री एस. दिनोकुमार सिंह के दिनांक 23.1.2004 के शपथ पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ दायर की गई छः प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रतियां हैं जिन्हें संबंधित जांचकर्ता अधिकारियों ने दायर किया है,

नामतः (i) श्री खुप्तिनलाल सिंसन, उप निरीक्षक (पी.डब्ल्यू. 2), (ii) श्री नांगम रोमन सिंह, उप निरीक्षक (पी.डब्ल्यू. 3), (iii) श्री वाहेंग्बम धनंजय सिंह, उप निरीक्षक (पी.डब्ल्यू. 4), (iv) श्री थोकचोम दामू सिंह, उप निरीक्षक (पी.डब्ल्यू. 5), (v)श्री सेराम सुर्जबोरो सिंह, उप निरीक्षक (पी.डब्ल्यू. 6) और (vi) मोहम्मद अब्दुल गफूर मसूद, उप निरीक्षक (पी.डब्ल्यू. 7) । ये सभी जांचकर्ता अधिकारी, प्रत्येक मैतेई संगठन के विरुद्ध दायर किए गए मामलों की अलग-अलग जांच कर रहे हैं । इनके शपथ पत्रों को क्रमशः प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/1, पी.डब्ल्यू. 3/1, पी.डब्ल्यू. 4/1, पी.डब्ल्यू. 5/1, पी.डब्ल्यू. 6/1 और पी.डब्ल्यू. 7/1 के रूप में चिन्हित किया गया है ।

16. पी.डब्ल्यू. 2 से पी.डब्ल्यू. 7 ने अपने बयानों में कहा है कि वे संबंधित एफ.आई.आर. में जांच अधिकारी थे; कि उनके शपथपत्रों (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/1 से पी.डब्ल्यू. 7/1) पर उनके हस्ताक्षर हैं; कि उनमें उल्लिखित विषय वस्तु सही है और कि उन्हें साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाए । उन्होंने अपने-अपने शपथ पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों को सिद्ध किया, नामतः एफ.आई.आर. की प्रतियां, शिकायतों की प्रतियां, मामले और समाचार पत्रों आदि में दर्ज गवाहों के बयानों की प्रतियां, जिन्हें क्रमशः प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/2 (संयुक्त), पी.डब्ल्यू. 3/2 (संयुक्त), पी.डब्ल्यू. 4/2 (संयुक्त), पी.डब्ल्यू. 5/2 (संयुक्त), पी.डब्ल्यू. 6/2 (संयुक्त) और पी.डब्ल्यू. 7/2 (संयुक्त) के रूप में दर्शाया गया है । बताया गया है कि ये दस्तावेज, सरकारी रिकार्ड की प्रामाणिक प्रतियां हैं । अपने शपथ पत्रों में उन्होंने उन मामलों का उल्लेख किया जिन मामलों की वे जांच कर रहे हैं और जिनके दस्तावेजों की प्रतियां तथा मामले के स्वरूप और प्रगति का विवरण शपथपत्रों के साथ संलग्न किया गया है । उन्होंने बयान दिया कि स्वयं को भारत का भाग न मानने वाले इन संगठनों की गतिविधियां भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने जैसी हैं तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं । यदि इन पर प्रतिबंध जारी नहीं रखा जाता है तो ये मणिपुर में कानून और व्यवस्था के लिए खतरा बन जाएंगे ।

17. पूछताछ किए जाने वाले अंतिम गवाह श्री एम. करनजीत सिंह, एस.पी. (मणिपुर पुलिस विभाग की टी.डी./विशेष शाखा (पी.डब्ल्यू. 9) थे । इन्होंने दिनांक 21.4.2004 (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 9/1) को शपथपत्र दायर किया । अपने शपथपत्र में उन्होंने बयान दिया कि वे पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी./विशेष शाखा, मणिपुर पुलिस विभाग की हैसियत से कार्य कर रहे थे । अपने इस पद पर वे राज्य में और राज्य के बाहर मैतेई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों के संबंध में दूसरे राज्यों की पुलिस की विशेष शाखा के साथ संपर्क स्थापित कर सूचना एकत्र करने, सूक्ष्म रूप से उसकी तुलना करने तथा उसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य देख रहे थे । मणिपुर राज्य विशेष शाखा के कार्यों में अन्य कार्यों के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या ऐसी गतिविधियों पर नजर रखना है जो राज्य और भारत की रक्षा और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों । शपथपत्र में आगे कहा गया है कि:-

> "यह कि अपने उक्त पद पर मैं कांगला, मणिपुर स्थित संयुक्त जांच केन्द्र का सीधे ही पर्यवेक्षण कर रहा हूं । इस स्थान पर सेना/अर्ध-सैनिक बलों और केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के प्रतिनिधियों की एक टीम द्वारा उग्रवादी मामलों में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ की गई है । गिरफ्तार किए गए ऐसे व्यक्तियों से यह पूछताछ पुलिस अभिरक्षा में रिमांड के दौरान की गई है । इस प्रकार मैं मणिपुर राज्य में इन छः (6) मैतेई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों और क्रियाकलापों से पूरी तरह

से वाकिफ हूं । इसका आधार यह है कि इनके रिकार्डों को न केवल जिलों में जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा रखा जाता है बल्कि सी.आई.डी., मणिपुर को विशेष शाखा द्वारा भी पूछताछ के दौरान दिए गए उनके बयानों का रिकार्ड रखा जाता है ।

एफ.आई.आर. की प्रतियां, 6 (छः) मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा किए गए अपराधों का ब्यौरा, उक्त 6 (छः) मैतेई संगठनों की गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों सहित सभी मामलों के रिकार्डों को सी.आई.डी. विशेष शाखा, मणिपुर द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर तैयार किया गया था और इन्हें पुलिस अधीक्षक/सी.आई.डी. (विशेष शाखा), मणिपुर की अपनी हैसियत से मैंने विधिवत अनुप्रमाणित किया था ताकि इन्हें गृह विभाग, मणिपुर सरकार, इम्फाल के माध्यम से इस माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जा सके ।"

18. श्री एम. करनजीत सिंह ने पी.डब्ल्यू. 9 के रूप में अपने बयान में वही बात दोहराई जो उन्होंने अपने शपथपत्र में कही थी और प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 9/1 के रूप में अपने शपथपत्र को सिद्ध किया तथा अनुरोध किया कि इसे साक्ष्य के एक भाग के रूप में पढ़ा जाए । उन्होंने यह भी बताया कि 13.11.2001 से 15.6.2003 की अवधि के दौरान छः मैतेई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध दर्ज की गई एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/ए की सूची विशेष सचिव (गृह), मणिपुर द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित है जब कि प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/बी अपराधों के ब्यौरे/सार, एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/सी की प्रतियां और प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/1 के शपथपत्र से संबंधित प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/डी की समाचार पत्र की कतरनें प्रामाणिक प्रतियां हैं और उन्होंने इन्हें प्रत्येक पृष्ठ पर अनुप्रमाणित किया है । इसके बाद उन्होंने इन उग्रवादी संगठनों की गैर-कानूनी गतिविधियों और उनकी धमकियों का उल्लेख किया । उन्होंने हाल में के.वाई.के.एल. द्वारा की गई भूतपूर्व डी.जी.पी. श्री जोगेश्वर की हत्या और यू.एन.एल.एफ. द्वारा संसदीय चुनावों का बहिष्कार करने संबंधी आह्वान का उल्लेख किया । इस संबंध में उन्होंने अखबारों से साक्ष्य प्रतियां प्रस्तुत की जो प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 9/एक्स और पी.डब्ल्यू. 9/एक्स-I के रूप में थी तथा कहा कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी ये उग्रवादी संगठन मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरनाक हैं ।

19. जैसाकि ऊपर पैरा 4 में बताया गया है कि नोटिस देने के बावजूद कोई भी मैतेई उग्रवादी संगठन अगली कार्यवाही के किसी भी स्तर पर हाजिर नहीं हुआ।

20. मैंने केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता को सुना है। उन्होंने कहा है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों का उद्देश्य मणिपुर को भारत संघ से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये संगठन सशस्त्र माध्यमों का सहारा ले रहे हैं, सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, सिविलियन जनता को डराने, धन ऐंठने/लूटने के कार्यों में संलिप्त हैं और प्रशिक्षण और हथियारों की प्राप्ति के लिए विदेशी स्रोतों के साथ संबंध स्थापित करने में प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि इन संगठनों को लगातार प्रतिबंधित नहीं रखा जाता है तो ये संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आपको पुनः संगठित कर लेंगे, अपने काडरो को फैलाएगें, परिष्कृत हथियारों को प्राप्त करेंगे, सुरक्षा बलों और नागरिकों की जान की क्षति का कारण बनेगें और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे। उन्होंने केन्द्र सरकार की और से प्रस्तुत साक्ष्यों का संदर्भ दिया की कि दिनांक 13.11.2003 की अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि कर दी जाए। इसके समर्थन में उन्होंने जमात-ए-इस्लामी हिन्द बनाम भारतीय संघ

(1995) 1 एससीसी 428 के प्रकरण का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ऐसी विधि अपनानी चाहिए जो नैसर्गिक न्याय और न्यायिक छानबीन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करे और जिसका इस प्रकरण में विधिवत पालन किया है।

21. मैंने मामले और प्रस्तुत साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। सुनवाई के दौरान मैंने आसूचना ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिइसिस विंग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सेना और मणिपुर सरकार से भारत सरकार द्वारा प्राप्त वे मूल आसूचना रिपोर्टें भी देखी हैं जिनके आधार पर इस मामले की पैरवी की गई थी और केन्द्र सरकार ने अपनी राय बनाई थी।

22. रिकार्ड में रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य गवाहों द्वारा पुष्टि किए गए सरकारी रिकार्डों की प्रतियां हैं जिनसे पता चलता है कि ये उग्रवादी संगठन डराने, धमकाने, धन ऐंठने, फिरौती के लिए अपहरण/व्यपहरण करने, राष्ट्रीय उत्सवों का बहिष्कार करना, आंतकवादी गतिविधियां चलाने, कर वसूली, गोला बारूद और हथियारों की प्राप्ति करने, देशद्रोही सामग्री के प्रकाशन, हथियारों के प्रशिक्षण, लूटपाट, सुरक्षा बलों और पुलिस कार्मिकों को मारने आदि की गैर कानूनी गतिविधियों और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विदेशों से संबंध स्थापित करने में संलिप्त हैं ताकि मणिपुर को भारत संघ से पृथक कर एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की जा सके। ऊपर वर्णित प्रस्तुत साक्ष्य विशिष्ट और पूर्णत: व्याख्यात्मक हैं। इसमें पंजीकृत मामलों और किए गए अपराधों का ब्यौरा है। ये सभी साक्ष्य स्वीकार्य और अकाट्य हैं। नैसर्गिक न्याय की अपेक्षाओं का विधिवत् रूप से पालन किया गया क्योंकि जैसा कि ऊपर पैरा 4 में बताया गया है, मणिपुर के मैतेई उग्रवादियों को आगे की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए बाकायदा नोटिसें भी भेजी गई थी परन्तु वे इसके बावजूद भी कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर हाजिर नहीं हुए। इस प्रकार मुझे उन मौखिक और प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है जो दिनांक 13-11-2003 की अधिसूचना के जारी किए जाने की परिस्थितियों के औचित्य को सिद्ध करते हैं। अत: मामले को केन्द्रीय सरकार के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

23. अत: इस अधिकरण का विचार है कि मणिपुर के उपर्युक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों नामश: (i) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी०एल०ए०) और इसके राजनीतिक विंग-रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर०पी०एफ०), (ii) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू०एन०एल०एफ०), (iii) पीपुल्स रिवोल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी०आर०ई०पी०ए०के०) और इसके सशस्त्र विंग "रेड आर्मी", (iv) कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के०सी०पी०) और इसके सशस्त्र विंग जिन्हें "रेड आर्मी" भी कहा जाता है, (v) कांग्लेई याओल कानबा लुप (के०वाई०के०एल०) और (vi) मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम०पी०एल०एफ०) को अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक 13 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना के तहत "विधि विरुद्ध संगम" घोषित करने के पर्याप्त कारण थे।

तदनुसार संदर्भ का उत्तर दिया जाता है।

नई दिल्ली

7 मई, 2004

(सी०के० महाजन)

न्यायाधीश

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2004

S.O. 618(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice C. K. Mahajan, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the Meitei Extremist Organisations of Manipur as unlawful is published for general information.

Sd/-

(C. K. MAHAJAN)
Tribunal Under the Unlawful
Activities (Prevention) Act, 1967

20th May, 2004

[F. No. 8/8/2003-NE-I]
RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL CONSISTING OF HON'BLE MR. JUSTICE C.K. MAHAJAN, JUDGE, HIGH COURT OF DELHI, NEW DELHI

In the matter of :

Declaration of The MEITEI Extremist Organisations of Manipur namely: (i) the Peoples' Liberation Army, generally known as (PLA) and its political wing the Revolutionary Peoples' Front (RPF); (ii) the United National Liberation Front (UNLF); (iii) the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", (iv) the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army"; (v) the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), and (vi) the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF); to be "unlawful associations" under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 (37 of 1967).

AND

In the matter of:

Reference Under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967.

ORDER

1. On November 13, 2003, the Government of India, Ministry of Home Affairs, in exercise of the powers, conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 (37 of 1967) (for short 'the Act'), issued a Notification being S.O.No. 1302(E), whereby the Central Government declared the Meitei Extremist Organisations, namely, the Peoples' Liberation Army(PLA) and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army"; the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army"; the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); and Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF), to be 'unlawful associations'. The Notification reads as under:

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th November 2003

S.O.1302(E).- Whereas the Peoples' Liberation Army, generally known as the (PLA), and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing. also called the "Red Army", Kanglei Yaol Kanba Lup(KYKL) and the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have:-

(i) openly declared as their objective the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India;

(ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objective;

(iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur,

(iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organization; and

(v) been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

2. And wheres the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations, namely, the Peoples' Liberation Army, generally known as the PLA and its political wing, the Revoloutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) to be unlawful associations.

4. And whereas-

(i) there has been repeated, continuing and ongoing acts of violence and attacks (by armed groups and members of the Meitei Extremist Organislations) on the Security Forces and the civilian population;

(ii) there has been an increase in the strength of the Meitei Extremist Organisations;

(iii) there has been continued collection of funds/extortions and acquisition of sophisticated weapons;

(iv) camps in some neighbouring countries continued to be maintained for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

5. And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the Meitei Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the said Meitei Extremist Organisations would regroup and rearm themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and

Security forces, and accelerate their activities aimed at secession of Manipur from India.

6. Now, therefore, having regard to the circumstances referred in paragraphs 4 and 5, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations, namely, the Peoples' Liberation Army, generally known as the PLA and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF), as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (3) of the said Section 3, the Central Government hereby directs that the Notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of publication in the Official Gazette.

(F.No.8/8/2003.NE.II)
RAJIV AGARWAL,JT.SECY."

2. The aforesaid Notification dated November 13, 2003, was followed by another Notification dated 5th December 2003 of the Ministry of Home Affairs, Government of India, being G.S.R.925(E), issued under sub-section (1) of Section 5 of the Act, constituting this Tribunal, for the purpose of adjudicating, whether or not there is sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organisations of Manipur as unlawful associations.

3. Reference under section 4(1) of the Act was made to this Tribunal vide letter No.8/8/2003/N.E.I. dated December 10, 2003, of the Government of India, Ministry of Home Affairs, accompanied by the aforesaid Notifications and a resume of the case. On receipt of the reference, Notifications and the resume of the case, the matter came up before the Tribunal for preliminary hearing on December 18, 2003 at 3.30 P.M. Relevant part of the said order reads as under:-

"Let notice under Section 4(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 be issued to Meitei Extremist

Organisations of Manipur namely the Peoples' Liberation Army(PLA), Revolutionary Peoples' Front (RPF), United National Liberation Front (UNLF), Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak(PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", Kangleipak Communist Party(KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", Kanglei Yaol Kanba Lup(KYKL) and Manipur Peoples' Liberation Front(MPLF), to show cause within 30 days as to why these Organisations should not be declared unlawful.

Notice be served upon the aforesaid Meitei Extremist Organisations of Manipur at their Principal Offices, if any, or by affixing a copy of the notice at some conspicuous part thereof. In addition, notice be served by publication in two National Newspapers (one in English and one in Hindi) and in one vernacular newspaper, having circulation in the State of Manipur. Besides the aforesaid modes, notice be also served upon the aforesaid Organisations by way of broadcast on All India Radio, telecast on Doordarshan and by means of Loudspeaker in the areas in which activities of aforesaid Organisations are ordinarily carried on.

The service of the notice be effected within 10 days. An affidavit be filed with the Registrar of this Tribunal within three weeks to show compliance of the orders.

The evidence will be recorded in accordance with the provisions of Section 5(5) read with Section 9 of Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 and the Rules made thereunder.

The Central Government as well as State Government to file in duplicate the affidavits of the witnesses as well as documents in support of the allegations within four weeks from today".

4. Pursuant to orders dated December 18, 2003, an affidavit dated January 07, 2004, of Shri R.R. Jha, Director (NE.II), Ministry of Home Affairs, was filed on behalf of the Government of India, to show compliance of the order. Similar affidavit dated on 7th January 2004 of Th. Chittaranjan Singh, Joint Secretary (Home), Govt. of Manipur, Imphal, was filed by the

State of Manipur. After perusal of the affidavits, the following order was passed by the Tribunal on 5th February 2004:-

> **"Pursuant to the order dated 18th December, 2003, an affidavit has been filed by Shri R.R. Jha, Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, affirmed on 7th January, 2004. According to the affidavit, notices were forwarded by the Central Government to the Government of Manipur, for taking necessary action, in accordance with the orders dated 18th December, 2003 of the Tribunal.**
>
> **Another affidavit dated 7th January 2004 has been filed by Th. Chittaranjan Singh, Joint Secretary (Home), Government of Manipur, stating that the Government of Manipur pursuant to the directions of the Central Government, took the following steps for effecting service on the Meitei Extremist Organisations of Manipur, in terms of order dated 18th December 2003 of the Tribunal:**
>
> **(i) Notices issued by the Tribunal were published in three newspapers namely (1) The National Herald (a daily English Newspaper) dated 27-12-2003, (2) The Nav Bharat Times (a daily Hindi Newspaper) dated 27-12-2003 and (3) The Sangai Express (a local vernacular newspaper of Imphal) dated 27-12-2003. Copies of the newspapers have been annexed.**
>
> **(ii) Notices were broadcast on the All India Radio (AIR), Imphal, at 7.30 P.M. (Manipur Bulletin) and other local dialect bulletins on 26-12-2003. Copy of letter dated 2.1.2004 to this effect of Sh.B.R.Sharma, Correspondent, Prasar Bharati, Akashvani Broadcasting Corporation of India, All India Radio has been annexed.**
>
> **(iii) Notices were also broadcast on the Doordarshan Kendra, Imphal on 24-12-2003 at 7.15 P.M. Copy of letter dated 26-12-2003 of Sh. L.Manibabu Singh, Programme Executive, Prasar Bharati, Broadcasting Corporation of India, Doordarshan Kendra, Imphal to that effect has been annexed.**
>
> **(iv) Service of notices was also effected by use of loudspeaker, beating of drums and by affixing at public places. Copy of letter dated 29-11-2003 of Sh. S.Dinokumar Singh, IPS, Sr. Superintendent of Police, Imphal West District, Manipur to that effect has been annexed.**
>
> **The affidavit dated 7th January 2004 of Shri R.R. Jha on behalf of the Central Government referred to above besides reiterating what has been stated in the affidavit**

on behalf of Government of Manipur, also details the steps taken by the State Government of Manipur. It is stated that Senior Superintendent of Police of Imphal West District reported that the Officials In charge of the nine Police Stations in the Districts, namely Imphal, Lamphel, Sekmai, Singjamai, Patsoi, Wangoi, Lamsang, City and Mayang Police Station have affixed copies of notice at the public places. It has also been reported that these Organizations do not have any office and thus notice has been served by beat of drums and use of loudspeakers and that wide publicity of notices of the Tribunal has been given to the general public. Copies of communications received from the Police Authorities of Manipur to the above effect have been annexed.

I have gone through the records and heard Counsel for the Union of India and the Government of Manipur. I am satisfied that the notices issued to the Meitei Extremist Organisations of Manipur by this Tribunal have been duly served in the manner ordered.

I find that in spite of service of notices, no objections/reply/written statements have been filed on behalf of any Organizations within the stipulated peri d or even till day. Nor is there any appearance on behalf of the said Organizations either in person or through counsel. Service being effected, I, therefore, proceed further with the enquiry.

The Central Government and the State Government of Manipur have also filed affidavits of witnesses together with documents and the same are taken on record. The affidavits filed are that of:-

(i) Shri R.R. Jha, Director to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi dated 14th January 2004.

(ii) Shri S. Dinokumar Singh, Special Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal dated 23rd January 2004.

(iii) Shri Khuptinlal Singson, Sub-Inspector of Police, Manipur Police Department dated 22.1.2004.

(iv) Shri Ngangom Romen Singh, Sub-Inspector of Police in Manipur Police Department dated 22.1.2004.

(v) Shri Wahengbam Dhananjoy Singh, Sub-Inspector in the Manipur Police Department dated 22.1.2004.

(vi) Shri Thokchom Damu Singh, Sub-Inspector in the Police Department, Manipur dated 22.1.2004.

(vii) Shri Seram Surjaboro Singh, Sub-Inspector of Police in the Manipur Police Department dated 22.1.2004.

(viii) Md. Abdul Gaffur Masood, Sub-Inspector in the Manipur Police Department dated 22.1.2004.

Pleadings are thus complete. Accordingly, I proceed to frame the following issue in the matter:

a) Whether or not there is sufficient cause for declaring the seven Meitei Extremist Organisations of Manipur i.e. (i) Peoples' Liberation Army(PLA), (ii) Revolutionary Peoples' Front(RPF), (iii) United National Liberation Front(UNLF), (iv) Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", (v) Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army" (vi) the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), and (vii) Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF), unlawful.

Additional documents, if any, be filed by the parties on affidavit within two weeks.

The matter will now be taken up for recording of evidence at Shillong on 17th and 18th March 2004. All necessary arrangements for holding of the sitting of the Tribunal on 17th and 18th March 2004 at Shillong be made by the Ministry of Home Affairs, Government of India.

Copies of this order be furnished to the counsel appearing for the Union of India as also to the Government of Manipur for taking steps for examination of the witnesses."

5. The next sitting of the Tribunal was held at Shillong, State of Meghalaya, on 17th March 2004. On the said date, an affidavit dated 17th March 2004, of Shri S.Dinokumar Singh, Special Secretary (Home), Government of Manipur, along with some documents was filed and it was prayed that the same be taken on record and treated as part of evidence. Necessary leave was granted. No one was again present on behalf of the Meitei Extremist Organisations of Manipur. Examination-in-chief of PW-1, Shri S.Dinokumar Singh was recorded. For affording an opportunity to the Meitei Extremist Organisations for his cross-examination, if any, the hearing was adjourned to 18th March 2004 at 10.00 A.M. No one appeared on behalf of Meitei Extremist Organisations of Manipur to cross-examine the witness

on 18th March 2004. The witness was therefore discharged. Thereafter, the statements of PWs- 2 to 7 were recorded on that date. Counsel for the Union of India prayed that the witness Shri R.R. Jha, Director, NE-II, Ministry of Home Affairs, Government of India be permitted to be produced on some other date, as he could not be present. The case was fixed for 24th March 2004, when it was adjourned to 7th April 2004. At the hearing of 7th April 2004, the following orders were passed:

> "Shri K.K. Sud, Additional Solicitor General stated that he would like to produce some more witnesses and examine Shri R.R. Jha, Director (NE-II), Ministry of Home Affairs, thereafter.
>
> The Tribunal directed that the next sitting for recording of evidence of the remaining witneses would be held at Aizwal, State of Mizoram, on 30th April 2004 at 10.30 A.M. All necessary arrangements for holding of the sitting of the Tribunal on the said date be made by the Ministry of Home Affairs, Government of India.
>
> It was further directed that notice be published by the Central Government and the State Government of Manipur in one National daily newspaper in English and one daily newspaper in Vernacular having circulation in the State of Manipur, of the date, time and venue of the sitting of the Tribunal, within seven days from today, informing the public at large that those who may be interested/willing in giving evidence before the Tribunal may file their evidence by way of affidavits (in triplicate) in English or in vernacular accompanied by English translation, before the Tribunal at Aizwal at 10.00 A.M. on 30th April 2004 and also remain present in person for cross examination, if any. The Central/State Government willl file affidavit(s) of compliance within ten days, accompanied by copies of concerned newspapers.
>
> Copies of this order be furnished to the Counsel appearing for Union of India and the Government of Manipur for taking steps for examination of the remaining witnesses. No further opportunity for the purpose will be given".

6. In compliance with the orders dated 7th April 2004, the Central Government vide letter dated 19th April 2004 of Sh.S.T. Venkatachalapathy, Desk Officer (NE.II) Ministry of Home Affairs, Government of India, submitted an affidavit dated 16th April 2004 of Shri S.Dinokumar Singh,

Special Secretary (Home), Government of Manipur. It is stated in the affidavit that the public notice was published in one National daily newspaper in English namely National Herald dated 16th April 2004 and one local daily vernacular newspaper namely Huiyen Lanpao, Imphal dated 15th April 2004. Copies of the said issues of the newspapers containing the public notice were enclosed with the affidavit. To the same effect, the Government of Manipur also filed on 19.4.2004 an affidavit of Shri S.Dinokumar Singh, Special Secretary, (Home), Government of Manipur. On 23rd April 2004, an other affidavit dated 19th April 2004 of Shri S.Dinokumar Singh, Special Secretary (Home), Government of Manipur, was filed, stating that the typographical error which occurred in the public notice published on 15th April 2004 in the local vernacular newspaper, namely, Huiyen Lanpao, Imphal, regarding date of sitting of the Tribunal which was omitted to be mentioned, was rectified by publication of another notice in the local daily Huiyen Lanpao, Imphal dated 18th April 2004. A copy of the said issue of the newspaper containing the notice is annexed along with affidavit.

7. Further, in accordance with order dated 7th April 2004, an affidavit dated 21st April 2004 of Shri M.Karnajit Singh, Superintendent of Police, CID/Special Branch of Manipur Police Department was also filed on 23rd April 2004.

8. The next sitting of the Tribunal was held on 30th April 2004 at Aijwal, Mizoram, when the following order was passed:

> "In terms orders dated 7th April 2004, the Central Government has filed affidavit dated 19th April 2004 of Shri S.Dinokumar Singh, Special Secretary (Home), Government of Manipur, showing compliance with the orders regarding publication of Public Notice in one daily National newspaper (English) on

16.4.2004 and one local daily newspaper (vernacular) on 15.4.2004, circulating in the State of Manipur. Copies of the said editions of the newspapers have also been placed on record. To the same effect, the Government of Manipur has also filed affidavits dated 16th April 2004 and dated 19th April 2004. I have perused the notice and the newspaper reports. Thus, sufficient compliance of the orders regarding publication of notice has been made.

No one is however present on behalf of the public. Nor has any affidavit been filed. It is 10.40 A.M. In the interest of justice the Tribunal will resume proceedings at 11.00 A.M. to await response, if any, from the public or from any of the organizations".

"It is 11.00 A.M. There is no appearance on behalf of the public or the organizations.

An affidavit dated 21st April 2004 of Shri M. Karnajit Singh, Superintendent of Police, CID/Special Branch of Police Department of Manipur, has also been presented on 23-4-2004 at Delhi. It is prayed by the learned counsel appearing for the Central Government that the same may be taken on record and that Shri M. Karnajit Singh may be permitted to be examined as a witness as per orders dated 7th April 2004. The affidavit is taken on record and the witness is permitted to be examined.

PW-8, Mr. R. R. Jha and PW-9 Mr. M. Karnajit Singh are present. Let their statements be recorded.

Statements of PWs- 8 and PW-9 have been recorded. There is no appearance on behalf of the MEITEI organizations to cross-examine them. They are discharged. Evidence is concluded. No further evidence is to be led.

Counsel for the UOI prays for time for making submissions and for filing written submissions. Let the needful be done before the next date.

List for arguments in Delhi on 4th May, 2004 at 3.30 P.M."

9. On 4th May 2004, no written submissions were filed. However, oral arguments were addressed by counsel for the Union of India.

10. Before considering the evidence placed on record, it would be necessary to trace the facts leading to the issuance of Notification dated November 13, 2003, by the Central Government under Sub-section (1) of S. 3 of the Act. The facts stated are:

10.1 That the State of Manipur is inhabited by Meiteis and tribals. The Meiteis are the numerically predominant community forming more than 66% of the total population and are concentrated in the Imphal valley. There are 29 tribes (mostly Nagas and Kukis) living in the hill area. The valley area of Manipur is affected by insurgency of various Meitei Extremist Organisations, the major ones among them being the Peoples' Liberation Army (PLA), Revolutionary Peoples' Front (RPF), United National Liberation Front (UNLF), Peoples' Revolutionary Party of Kangleipal (PREPAK), Kangleipak Communist Party (KCP), Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF). The hill areas are affected by the activities of Naga extremists belonging to the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and Kuki extremists.

10.2 That the Meitei Extremist Organisations have been responsible for a number of violent incidents and armed lootings in which a large number of civilians and police personnel have lost their lives. The extremists have also been looting money from banks and extorting huge amounts of money from businessmen, traders, civilians and even Government employees. Violent activities of Meitei Extremist had acquired serious dimensions and the Imphal valley was declared as 'disturbed area' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 from September 8, 1980. Combing operations by the Security Forces and Police were launched. Four Meitei Extremists Organisations, namely, PLA, UNLF, PREPAK and KCP, which were indulging in unlawful acts of violence, including murders, looting, intimidation, etc., mostly in the valley areas of Manipur State, in furtherance of their objective of "liberation" of Manipur, were declared as 'unlawful association' under Section 3(1) of the Act, first on 26th October 1979. Since then, the ban has been continued. MPLF was declared as an "unlawful association" on 13th November 1999 along with other Meitei Extremist

Organisations. The last Notification was issued vide S.O.1124 (E) dated 13th November 2001. A reference under sub-section (1) of Section 4 of the Act was made to the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Hon'ble Mr. Justice Anil Dev Singh, Judge, High Court of Delhi and the learned Tribunal vide its order dated 10th May 2002 confirmed the notification dated 13.11.2001 issued by the Government of India.

10.3 That the Meitei Extremist Organisations continue to propagate secession from India. The security forces remain one of their prime targets in their plans to perpetuate their 'War' against the Government of India. Their extortion activities also continue to fill their coffers. The recent attack on the Chief Minister, Manipur's escort convoy on 27th July 2003 in which two police personnel were killed, and the blast on a passenger bus at Lilong bridge on 14th August 2003, in which six civilians were killed and 17 others injured, are a grim reminder of the violence potential of these organizations. The literature of these organizations also indicate their seditious tendencies. Withdrawal of ban on these organizations at this juncture would strengthen their cause and help them in further internationalising the same.

10.4 That the details of violent incidents by these militant organizations since 1999 are as under:

YEAR	TOTAL NO. OF INCIDENTS	KILLED	
		Persons	Security Forces Killed
1999	230	138	63
2000	185	116	41
2001	190	69	18
2002	172	77	34
2003 till 31st July	12	38	18

10.5 That the Meitei Extremist Organisations maintain close links with each other and also with other extremist organizations in the North East. PLA/RPF is maintaining close links with Issac-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN). ULNF is maintaining

contacts with the Khaplang faction of NSCN as well as the Kuki National Army. KYKL draws its support from KCP, PREPAK and UNLF (Oken faction). UNLF is also a signatory to the Indo-Burma Revolutionary Front (IBRF) formed in 1990 by ULFA and NSCN (K). The aim of IBRF was to jointly fight the Indian Security Forces. Though IBRF has not been very effective, it has provided training to the cadres of UNLF and ULFA. KYKL and IBRF are umbrella organizations offering platforms to insurgent groups for cooperation in operational matters. PREPAK, RPF and UNLF have joined together to form another umbrella organization named the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF).

10.6 That PLA/RPF, UNLF, PREPAK, KCP and KYKL have camps in neighbouring countries, viz. Bangladesh and Myanmar. Members of these extremist organizations are continuing their secessionist and violent activities. They also continue to make efforts to establish and sustain contacts with foreign countries with a view to securing assistance in their unlawful activities, and that notwithstanding the fact that the Meitei Extremist Organisations have continued to be banned for a long period, Meitei insurgency remains a serious security concern in Manipur, particularly in the Valley. These organizations continue to resort to massive mobilization of funds by unlawful tax collections, extortion and even kidnapping/abduction for ransom. Procurement of arms by the Meitei Extremist Organisations has also been continuing. Factors taken into consideration for extension of the ban were as under:-

(i) The Meitei Extremist organizations have openly declared the formation of an independent Manipur by secession from India as their objective;

(ii) They have been employing armed means to achieve their aforesaid objective;

(iii) They have been attacking the Security Forces, the police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur;

(iv) They have been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for the collection of funds for their organizations; and

(v) They have been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

10.7 That the views from various concerned Governments Departments/Agencies were called and all of them have recommended further extension of the ban on the Meitei Extremist Organisations. The reasons for extension of the ban are given as under:

(i) Continued espousal of the policy of secession of Manipur from India.

(ii) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

(iii) Continued adoption of violence and terror through armed action as means for achieving their objective.

(iv) High levels of extortion and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and even Government employees.

(v) Links and support to other North-East insurgent groups and with neighbouring countries.

(vi) Procurement of large quantities of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from various security forces.

(vii) Attempts to gain membership of the Unrepresented Nations and Peoples' Organisations with the intention to accessing and utilizing the various international fora for mobilizing support towards their ultimate objective of separating Manipur from India.

10.8 It is, therefore, stated that for these reasons it was considered imperative to issue a fresh notification for further declaration of the Meitei Extremist Organisations namely PLA, PREPAK, RPF, UNLF, KCP, KYKL and MPFL as "unlawful associations" under sub-section (1) of section 3 read

1640 GI 04-5

with the proviso to sub-section (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 after the expiry of the validity of the earlier Notification on November 12, 2003, and accordingly a fresh notification for declaring these organizations as "unlawful associations" for a further period of two years w.e.f. November 13, 2003, was issued, and that in case any gap between the two notifications was allowed, these organizations taking undue advantage of the situation, may mobilize their cadres for escalating their unlawful and anti-national activities.

11. By way of evidence in support of the reference, affidavit of Shri R.R. Jha, Director, Ministry of Home Affairs, Government of India dated 14-1-2004, three affidavits of Shri S.Dinokumar Singh, Special Secretary (Home), Government of Manipur, two dated 23rd January 2004 and the third dated 17th March 2004, and affidavit dated 21st April 2004 of Shri M. Karnajit Singh, Superintendent of Police, CID/Special Branch of Manipur Police Department, Government of Manipur, have been filed.

12. It is stated in the affidavit of Shri R.R. Jha that the aforesaid Meitei Extremist Organisations as "unlawful associations" have been responsible for a number of violent incidents and armed lootings in which a large number of civilians and police personnel have lost their lives. Annexure-I to the affidavit gives the details of each of the Meitei Extremist Organisations of Manipur, dates when they were founded their cadre strength and aims and objectives. Annexure II thereto contains details of major incidents of violence, looting, extortion etc. committed by the Meitei Extremists Organisations of Manipur in 2002 and 2003, while the list of cases of crime registered against these Organisations during the period 13-11-2001 to 15-6-2003 as received from the Government of Manipur by the Central Government, is Annexure-III to the said affidavit. Copies of Seizure Memos, Re-Seizure Memos, literature of the six Meitei Extremist Organisations

pointing to their secessionist tendencies and Demand Notices issued by them are detailed in Annexure IV. Then the affidavit refers to maintaining of close links by the Meitei Extremist Organisations of Manipur with other extremist organizations of North-East, establishment of camps by them in neighbouring countries, seeking training and cooperation from other organizations, and continuance of the unlawful secessionist and violent activities. It is further stated that notwithstanding the ban, the Meitei Extremist Organisations of Manipur have continued to resort to unlawful tax collections, extortions and kidnappings/abductions for ransom. The affidavit further traces the factors and reasons, as already noted in paras 10.6 and 10.7 above, taken into consideration for extension and continuance of the ban for a further period of two years beyond 13.11.2003. It is stated that, in the circumstances, it was necessary to declare the Meitei Extremist Organisations of Manipur as 'unlawful associations' w.e.f. 13.11.2003 with immediate effect and therefore, the Notification dated 13.11.2003 was accordingly issued, a copy of which is Annexure V to the affidavit.

13. Shri R.R. Jha has been examined as PW8. He has proved letter dated 10.12.2003 (Ex.PW8/1) of the Central Government, making reference under S.4 (1) of the Act to this Tribunal, notification dated 13.11.2003, (Ex.PW8/2), notification dated 5.12.2003 (Ex.PW8/3), and the resume annexed to the reference (Ex.8/4). He also deposed that the affidavit dated 14.1.2004 (Ex.PW 8/5) filed in these proceedings on behalf of the Central Government is signed by him and the facts stated therein are on the basis of information received from the Central Government Agencies and the Government of Manipur. He stated that it may be read as part of examination-in-chief. He also proved Annexures I,II,III and IV to his affidavit referred to above as Exs.PW8/6, PW8/7, PW8/8 and PW8/9.

14. Shri S.Dinokumar Singh, Special Secretary (Home), Government of Manipur appeared as PW1. He stated that the affidavit dated 23-1-2004 (Ex.PW-1/1) filed by him bears his signatures. He stated that the contents of his three affidavits were based on official record and information received from various Departments of the Government of Manipur. He further stated that in his official capacity he has been dealing with the activities of the Meitei Extremist Organisations of Manipur. The affidavit Ex.PW1/1 further states that the main objective of these Organisations is to secede Manipur from the Union of India and formation of an Independent Sovereign Country. These Organisations indulge in various unlawful activities, intimidation/extortion of money from general pubic, terrorization of the people by their acts of killing of innocent people, Government employees, Police personnel and security force personnel, kidnapping and abduction of top ranking government officials, businessmen and the members of well-to-do families for ransom. Also these Organisations receive assistance from foreign countries. The affidavit also gives details of the aims and objectives of each of these Organizations and of their bases, manpower, arms and ammunitions, of their involvement in crime and criminal cases etc. It is stated that there is continued need to declare these Organisations as "unlawful associations". Affidavit Ex.PW1/1 is by and large on the same lines as the affidavit of Shri R.R. Jha (Ex.PW8/5). The second affidavit dated 23.1.2004 of Shri S.Dinokumar Singh (Ex.PW1/2) states that during the period from 13-11-2001 to 15-6-2003 as many as 656 cases were filed against the Meitei Extremist Organisations. With this affidavit copies of relevant documents pertaining to 23 selected FIRs registered against different Meitei Extremist Organisations have been filed, which, in his deposition, he stated to be true copies of their respective originals and prepared from the original record. The details of the 656 cases registered against different Meitei

Extremist Organisations have also been given. He proved copies of list of FIRs as Ex PW1/A (Colly), copies of gist of FIRs as Ex. PW1/B (Colly), copies of FIRs as Ex.PW1/C (Colly) and copies of newspaper cuttings as Ex. PW1/D (Collly). It may be stated that while documents Ex. PW1/A (Colly) and Ex. PW1/B (Colly) have been filed with the second affidavit dated 23-1-2004, documents Ex. PW1/C and Ex. PW1/D have been filed with the affidavit dated 17.3.2004 of Shri S.Dinokumar Singh. In his deposition also, he deposed about the number of cases registered against each of the Meitei Extremist Organisations, as stated at page 4 of Ex PW1/2. Then he deposed as to the anti-national, unlawful, subversive and criminal activities of these Organisations. He prayed his affidavits be read as part of evidence.

15. Documents annexed with the affidavit dated 23.1.2004 of Shri S. Dinokumar Singh, contain copies of six FIRs filed, on affidavits, by the respective Investigating Officers, namely (i) Shri Khuptinlal Singson, Sub-Inspector, (PW2), (ii) Shri Ngangom Romen Singh, Sub Inspector, (PW3), (iii) Shri Yahengbam Dhananjoy Singh, Sub Inspector (PW4), (iv) Shri Thokchom Damu Singh, Sub Inspector (PW5), (v) Shri Seram Surjaboro Singh, Sub Inspector (PW6) and (vi) Md. Abdul Gaffur Masood, Sub Inspector (PW7), who are individually investigating cases against each of the six Meitei Extremist Organisations. Their affidavits are respectively marked as Exs. PW 2/1, PW 3/1, PW 4/1, PW 5/1, PW 6/1 and PW 7/1).

16. PW 2 to PW7 in their depositions stated that they were the IOs in the respective FIRs; that the affidavits (Exs PW2/1 to PW7/1) sworn by them bore their signatures; that the contents thereof were correct and that they be read as part of evidence. They proved the copies of the documents filed by them with their respective affidavits, namely, copies of FIRs, complaints,

statements of witnesses recorded in the case and newspapers etc., which are respectively exhibited as Exs. PW2/2 (Collly), PW3/2 (Colly), PW4/2 (Colly), PW5/2 (Colly), PW6/2 (Colly) and PW7/2 (Colly). The documents were stated to be true copies of the official records. In their affidavits they have referred to the case under their investigation of which copies of documents have been annexed to the affidavits, the nature and progress of the case. They have deposed that the activities of these organizations who do not consider themselves as part of India, tantamount to waging war against India and a threat to sovereignty and integrity of India and that if the ban is not continued they would be a threat to the law and order in Manipur.

17. The last witness examined was Shri M.Karnanjit Singh, SP, CID/Special Branch of Manipur Police Department (PW9), who filed an affidavit dated 21-4-2004 (Ex.PW9/1). In the affidavit he stated that he was working as Superintendent of Police, CID/Special Branch of Manipur Police Department and in his capacity, dealing with collection, collation and dissemination of information, as to activities and movements of the Meitei Extremist Organisations in the State as well as outside the State by communicating with Special Branches of Police of other States. The Manipur State Special Branch covers among others anti national activities or those likely to affect security and safety of the State and of India generally. The affidavit further states as under:

> **"That, in my capacity as stated above, I am directly supervising the Joint Interrogation Centre located at Kangla, Imphal where all the arrested accused persons relating to the extremist cases are interrogated by a team of officers consisting of the representatives of Army/Para Military Force and Central Intelligence Agencies during the Police Custody remand of such arrested accused persons. As such, I am conversant with the activities and movement of these 6 (six) Meitei Extremist outfits operating in the State of Manipur since their interrogation statements are maintained by the CID, Special Branch of Manipur apart from the records maintained by the Investigating Officers in the districts.**

All the case records including FIR copies, details of crimes committed by 6 (six) Meitei Extremist Organisations, documents relating to the activities of the said 6 (six) Meitei Organisations were prepared on the basis of the records maintained by CID, Special Branch, Manipur and duly attested by me in my capacity as Superintendent of Police/CID (Special Branch), Manipur for submission before this Hon'ble Tribunal through the Home Department, Government of Manipur, Imphal".

18. In his statement as PW9, Shri M.Karnajit Singh reiterated what he stated in his affidavit and proved his affidavit as Ex.PW9/1 and prayed that it be read as part of evidence. He also stated that the list of FIRs Ex.PW2/A registered against the six Meitei Extremist Organisations for the period from 13.11.2001 to 15.6.2003, is duly attested by Special Secretary (Home), Manipur while details/gist of crimes Ex. PW1/B, copies of FIRs Ex.PW1/C and newspaper cuttings Ex.PW1/D to affidavit Ex. PW1/1 are true and correct copies and duly attested by him on each page. He then referred to the unlawful activities and the threat posed by these extremist organizations. He referred to the recent killing of former DGP Shri Jogeshwar by KYKL and the call given by UNLF for boycotting the on going parliamentary elections. In this connection, he tendered in evidence copies of newspaper cuttings as Ex.PW9/X and Ex.PW9/X-1, and stated that despite the ban these extremist organizations are still a threat to the law and order situation in Manipur.

19. As already noted in para 4 above, despite service of notice, none of the Meitei Extremist Organisations chose to appear at any stage of the proceedings. The evidence led has therefore gone unrebutted.

20. I have heard learned counsel for the Central Government. He stated that the objective of the Meitei Extremist Organisations is to secede from the Indian Union and form an independent State of Manipur and in order to achieve their objective these organizations have been employing and

engaging in armed means; attacking security forces, police, Government employees and law abiding citizens; indulging in acts intimidation, extortion/looting of civilian population and making efforts to establish contacts with sources abroad to secure arms and training. He said that if the ban on these Organizations is not continued, these Organisations would regroup themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and security forces and accelerate their unlawful activities to achieve to their objective. He referred to the evidence adduced on behalf of the Central Government and prayed that the declaration made in the Notification dated 13.11.2003 be confirmed. In support he referred to the case of JAMAAT-E-ISLAMI HIND Vs. UNION OF INDIA ((1995) 1 SCC 428) to contend that the procedure adopted should only satisfy the minimum requirements of natural justice and judicial scrutiny, which have duly been complied with in the present case.

21. I have carefully considered the matter and the evidence adduced. During the hearing I have also been shown the original intelligence reports received by the Central Government from IB Intelligence Bureau, Research and Analysis Wing, CRPF, BSF, Army and the Government of Manipur, in the matter, on the basis of which, it was argued, the Central Government formed its opinion.

22. The documentary evidence placed on record are copies of official records which have been proved by witnesses. It shows that these extremist organizations are engaged in unlawful activities of intimidation, extortion, kidnapping/abduction for ransom, boycott of National functions, acts of terrorism, collection of taxes, acquiring arms and ammunition, publishing seditious material seeking weapons training, looting, killing of security forces, police personnels and maintaining links with outfits abroad to achieve their objective of secession from the Indian Union and establishment

of an independent State of Manipur. The evidence produced as discussed above is specific and quite voluminous. It gives details of cases registered and crimes committed. All this evidence is admissible and unrebutted. The requirement of natural justice has been duly complied with inasmuch as notice was duly served on the Meitei Extremist Organisations of Manipur, as stated in para 4 hereinabove, to participate in the proceedings but despite service the Meitei Extremist Organisations chose not to put in appearance at any stage of the proceedings. I have therefore no reason to disbelieve the oral as well as documentary evidence adduced which clearly establishes the existence of circumstances justifying the issuance of the Notification dated 13.11.2003. The issue framed is, therefore, decided in favour of the Central Government.

23. This Tribunal is, therefore, of the view that there was sufficient cause for declaring the aforesaid Meitei Extremist Organisations of Manipur, namely: (i) the Peoples' Liberation Army, generally known as (PLA) and its political wing the Revolutionary Peoples' Front (RPF); (ii) the United National Liberation Front (UNLF); (iii) the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", (iv) the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army"; (v) the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), and (vi) the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF); as "unlawful associations" under the Act, vide Notification No. S.O.No.1302(E) dated November 13, 2003, issued by the Central Government.

The reference is answered accordingly.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.